कार्यालय उप वन संरक्षक, बाँसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 6778-81 दिनांक :- 10/11/22

निमित्त,
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :– Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land in favour of M/s Telesonic Networks Ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00Km)District-Banswara(Raj.)(FCA proposal No- FP/RJ/OFC/51041/2020)

सन्दर्भ :– GOVERNMENT OF INDIA,MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST& CLIMATE CHANGE,Integrated Regional Office,Jaipur के पत्रांक File No.8 बी / राज / 12 / 30 / 2021 / FC Dated 30.08.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा चाही गई बिन्दु की सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1-Officer responsible for violation and action taken under FCA,1980 shall be submitted by the State Govt.

प्रत्युत्तर :–

A. उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबधी कार्य कि जानकारी प्राप्त होते ही विभागीय स्टॉफ द्वारा तुरन्त मौके पर पहुचने पर पोकलेन मशीन के चालक श्री अमृतलाल पुत्र श्री कलजी जाती डामोर, निवासी ग्राम भरतगढ, तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा द्वारा वन भूमि में बिना अनुमति के ट्रेंच खूदाई का कार्य करते हुए पाये जाने पर तत्काल कार्य को रूकवा दिया।

B. तत्तसमय मौके से पोकलेन मशीन व ट्रोले जब्त किये जाकर मौके पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए उक्त चालक के विरूद्व राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 में नियमानुसार वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है तथा दर्ज किये प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेंज इस कार्यालय के पत्रांक 613–16 दिनांक 20.01.2021 से श्रीमान् को प्रस्तुत किये गये है जो कि संलग्न है।

C. इस प्रकरण में मुल्जिम से दण्डात्मक राशि रू. 1,50,000 /–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) वसूल की जाकर प्रकरण को अपशमन किया गया है।

D. प्रकरण में FCA 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी विभागीय स्टॉफ के विरूद्व की गयी कार्यवाही के संबध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6791 दिनांक 9.11.2020 के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ को निर्देशित किया गया था।

E. जिसके क्रम में उनके पत्रांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि उपरोक्तानुसार पोकलेन मशीन के चालक द्वारा वन भूमि में ओएफसी बिछाने हेतु मशीनों द्वारा खुदाई का कार्य दिनांक 21.09.2020 की रात्री में चोरी–छुपे करवाया गया है, जिसकी जानकारी स्टॉफ को प्राप्त होते ही दिनांक 22.09.2020 को स्टॉफ द्वारा मौके पर पहुंच कर कार्य को तत्काल रूकवा दिया गया एवं कार्य में प्रयुक्त की गयी मशीनों को जब्त कर लिया गया।

F. इस प्रकरण में FCA 1980 के उल्लंघन के लिए विभागीय स्टॉफ की साठ–गांठ अथवा लापरवाही नहीं होने से कोई भी विभागीय स्टॉफ जिम्मेदार नहीं है।

G. M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

H. उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट (प्रति संलग्न है) के अनुसार नियमों से भली–भांति विज्ञ होने के बावजूद भी यूजर एजेंसी के द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही से बचने की मंशा से दिनांक 21.09.2020 की रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए मशीनों के द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर वन भूमि में चोरी–छिपे OFC बिछाने का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण संख्या 97–21 दिनांक 22.09.2020 दर्ज किया जाकर यूजर एजेंसी से ₹1,50,000 दण्डात्मक राशी वसूल की गई है (तत्संबंधित पत्रादी की छायां–प्रतियां संलग्न है)।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार (चार प्रतियों में)

भवदीय,

(जिगनेश शर्मा)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी,कुशलगढ।
3. M/s Telesonic Networks Ltd. 3rd Floor, Metro Tower, Squire Scheme no. 54, Indore (Madhya Pradesh)

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बॉसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 613-616 दिनांक :– 20.01.2021.

निमित्त,
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :– Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट (प्रति संलग्न है) के अनुसार नियमों से भली–भांति विज्ञ होने के बावजूद भी यूजर एजेंसी के द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन कि कार्यवाही से बचने कि मंशा से दिनांक 21.09.2020 की रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए मशीनों के द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर वन भूमि में चोरी–छिपे OFC बिछाने का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण संख्या 97–21 दिनांक 22.09.2020 दर्ज किया जाकर यूजर एजेंसी से ₹1,50,000 दण्डात्मक राशी वसूल की गई है (तत्संबंधित पत्रादी की छायां–प्रतियां संलग्न है)।

यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 1482.21 रनिंग मीटर की लंबाई में OFC बिछाया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में उल्लंघन संबंधी कार्य करवाया जा चुका है एवं 282.21 रनिंग मीटर की लंबाई में कार्य करवाया जाना अब भी शेष है। उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि का अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2021 को मौका निरीक्षण कर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सत्यापन किया गया है तद्नुसार उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमशः 2 पर

क्र. सं.	वन खण्ड का नाम	कं. नं.	राजस्व ग्राम	प्रभावित खसरा नंबर	कार्य निष्पादीत करवाए जाने की दिनांक एवं समय	वांछित कार्य हेतु आवश्यक वन भूमि का क्षेत्रफल (है.में)	उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का क्षेत्रफल (है.में)
1	कदवाली पोटलिया	2	पोटलिया, हल्दुपाड़ा, पाटन	125/2, 132, 182, 548/125	दिनांक 21.09.2020 कि रात्रि में।	0.0667	0.0540

मौका निरीक्षण करने पर यह भी पाया गया है कि यूजर एजेंसी के द्वारा बिना सक्षम अनुमति के 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में बिछा दी गई OFC को क्षेत्रिय के द्वारा निर्देशित करने के बाद भी वन भूमि से नहीं हटाया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव में इस कार्यालय के स्तर से आवश्यक समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 613-16

दिनांक :– 20.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ।
3. M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh)

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बॉसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. 1980 / OFC / उवसं / 2020 / 6791 दिनांक :– 09-11-2020

निमित्त,
श्री छोटुलाल बैरवा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुशलगढ़।

विषय :– Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा आपकी रेंज अधिन वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न भिजवाई जा कर लेख है कि निम्नानुसार सूचनाएं इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि तद्नुसार प्रस्ताव में इस कार्यालय के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करवाई जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को अग्रेषित करवाया जा सके :–

1. उक्त प्रकरण में यूजर एजेंसी के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही वन भूमि में केबल बिछाने का कार्य सम्पादीत करवा दिया गया है, जिसके क्रम में आपके द्वारा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण दस्तावेजों कि प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करें। यह भी स्पष्ट करें की उल्लंघन संबंधी कार्य किन परिस्थितियों के अंतर्गत करवाया गया है एवं इसके लिए दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? इसके अतिरिक्त उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें :–

क्र. सं.	उल्लंघन संबंधी कार्य का विवरण	वन खण्ड का नाम	कं. नं.	राजस्व ग्राम	खसरा नंबर	कार्य निष्पादन करवाए जाने की दिनांक एवं समय	वांछित कार्य हेतु आवश्यक वन भूमि का क्षेत्रफल (है.में)	उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का क्षेत्रफल (है.में)

2. क्या प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि के मौके की स्थिति प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों यथा Area calculation sheet, SOI Topo sheet, kml. File, Dgps map, आदि में अंकित किए गए विवरण के अनुरूप ही है ? अथवा इसमें कोई विरोधाभास है ? यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण से स्पष्ट रूप से अवगत करावें, अन्यथा कोई विरोधाभास नहीं पाये जाने पर प्रस्ताव में संलग्न

क्रमशः 2 पर

पृष्ठ संख्या 3 से 5 एवं 13 से 33 को "Details Verified" अंकित करते हुए प्रत्येक पृष्ठ मय मोहर आपके हस्ताक्षर से प्रमाणित कर प्रस्तुत करें।

3. संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के द्वारा वांछित सूचनाएं बिन्दुवार तैयार कर प्रस्तुत करें।

4. मौका निरीक्षण करने के उपरांत उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त यदि अन्य और कोई एसे बिंदु जो कि आपके स्तर से जांच रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने आवश्यक समझे जावें तो अवश्य सम्मिलित किये जावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़

क्रमांक प14( )/विविध/क्षे.व.अ./2020/ 1561 दिनांक :– 21/12/2020

निमित्त
श्रीमान उप वन संरक्षक,
बांसवाडा।

विषय :– Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक 6791 दिनांक 09.11.2020 एवं 7328 दिनांक 07.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा वन भूमि में OFC बिछाने हेतु प्रस्तुत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में संदर्भित पत्र के द्वारा चाही गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण का बिंदुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. उक्त प्रकरण में यूजर एजेंसी के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही वन भूमि में केबल बिछाने का कार्य सम्पादीत करवा दिया जाने के कारण इस कार्यालय के द्वारा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 कि धारा 30 एवं 32 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण संख्या 97–21 दिनांक 22.09.2020 दर्ज किया जाकर श्रीमान् के निर्देशानुसार यूजर एजेंसी से दण्डात्मक राशी ₹1,50,000 वसूल की जाकर प्रकरण का अपशमन किया गया है, तत्संबंधित पत्रादी कि छाया–प्रतियां श्रीमान् के अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत हैं। वन भूमि प्रत्यावर्तन का विधिवत रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पुर्व यूजर एजेंसी के द्वारा OFC के Route में प्रभावित होने वाली वन भूमि कि जानकारी हेतु सम्पर्क करने पर इस कार्यालय द्वारा यूजर एजेंसी को कम से कम 3–4 बार भली–भाँति अवगत करवाया गया था कि उनके द्वारा प्रस्तावित OFC के मार्ग में वन भूमि प्रभावित होगी जिसके लिये नियमानुसार Online प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक होगा एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दी जावेगी। इस आशय से भली–भांति विज्ञ होने के उपरांत भी यूजर एजेंसी के द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत कर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने कि कार्यवाही नहीं कि गई एवं दिनांक 21.09.2020 कि रात्रि में मशीनों के द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर वन भूमि में चोरी–छिपे OFC बिछाने का कार्य पूर्ण करवा दिया गया। दिनांक 22.09.2020 को प्रातःकाल में इस अवैध कार्य की जानकारी प्राप्त होते ही स्थानीय स्टाफ द्वारा मौके पर पहुँच कर कार्य को तत्काल रुकवा दिया गया एवं कार्य में प्रयुक्त कि गई जेसीबी एवं पोकलैंड मशीनों को जप्त कर रेन्ज कार्यालय परिसर में खड़ा करवा दिया गया तथा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। इस प्रकरण में विभागीय स्टाफ की कोई भी साँठ–गाँठ अथवा लापरवाही नहीं रही है। यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 1482.21 रनिंग मीटर की लंबाई में OFC बिछाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में उल्लंघन संबंधी कार्य करवाया जा चुका है एवं 282.21 रनिंग मीटर की लंबाई में कार्य करवाया जाना अब भी शेष है। उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का विवरण निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

कृ.प.उ. 2

क्र. सं.	वन खण्ड का नाम	कं. नं.	राजस्व ग्राम	प्रभावित खसरा नंबर	कार्य निष्पादीत करवाए जाने की दिनांक एवं समय	वांछित कार्य हेतु आवश्यक वन भूमि का क्षेत्रफल (है.में)	उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का क्षेत्रफल (है.में)
1	कदवाली पोटलिया	2	पोटलिया, हल्दुपाड़ा, पाटन	125/2, 132, 182, 548/125	दिनांक 21.09.2020 कि रात्रि में।	0.0667	0.0540

2. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि के मौके की स्थिति प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों यथा Area calculation sheet, SOI Topo sheet, kml. File, Dgps map, आदि में अंकित किए गए विवरण के अनुरूप ही है, इनमें कोई विरोधाभास नहीं पाया गया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव में संलग्न पृष्ठ संख्या 3 से 5 एवं 13 से 33 को निर्देशानुसार मय मोहर एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कर दिया गया है।
3. परिशिष्ठ ''अ'' के द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार तैयार कर संलग्न प्रस्तुत हैं।
4. टिप्पणी कि आवश्यकता नहीं है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार सूचना एवं मूल प्रस्ताव पत्रावली।

भवदीय,

(महेन्द्र मसार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुशलगढ़।

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा
क्रमांक 4013
दिनांक 23-12-2020

D:\THE MOON\Mayank\O F C\Reply From RFO.docx

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी कुशलगढ जिला–बांसवाडा

दिनांकः 30/9/2020

कमांकः एफ/( )व.अ./2020–21/1255

श्रीमान् उप वन संरक्षक महोदय,

बांसवाडा ।

विषय– फैसल मिसले प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि रेंज अधिन वन क्षेत्र में समय–समय पर दर्ज हुए प्रकरणों कि निम्नानुसार मुआवजा वसुल कर फैसल मिसले श्रीमान् की सेवा मे सूचनार्थ एवं मुकदमा रजिस्टर में दर्ज होने प्रेषित है । साथ ही एफ.एम.डी.एस.एस.पोर्टल पर ऑनलाईन कर दी गई है ।

क्र.स.	रेंज	नाका	F.I.R.N0	दिनांक	रेंज मु0 नम्बर.	वर्ष	राशि	FMDSS. Portal's Request ID	अपराध-का प्रकरण
5	कुशलगढ	छोटी सरवा	97–21	22.09.2020	25	2020–21	1,50,000/-		खनन

संलग्नः–उपरोक्तानुसार (01misle)

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज कुशलगढ

6.10

3198
07/10/2020

E:\Documents\misle.docx

<u>कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा</u>

क्रमांक/व.अ./उवसं/बांस/2020 –21/6085 दिनांक :– 12/10/2020

मूल ही क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ को आपके पत्रांक 1255 दिनांक 30.09.2020 के कम में भेजकर लेख है कि आप द्वारा वन अपराध की कुल 01 मिसल इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु ऑनलाईन की जाकर प्रेषित की गयी है। मिसल मय पूर्ण प्रकरण बाद स्वीकृति रेंज मुकदमा रजिस्टर में इन्द्राज हेतु संलग्न प्रेषित है, **<u>साथ ही माह सितम्बर 2020 की एफ.एम.डी.एस.एस अपडेशन की सूचना भी अविलम्ब प्रस्तुत करें।</u>**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार मूल पत्रावली– 01

उप वन संरक्षक,
बांसवाडा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी ★ कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा ★
आवक/जावक 487 13/10/20

D:\backup\giri\Van Apradh\Van Aparadh Letters.docx

जा॰ क्रमांक 9
2020-21

F. D. Form No. 8

वन विभाग, राजस्थान क्र. मु. नं. 21
2020-21

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

First Information Report

21

द्वितीय प्रति

पुस्तक क्रमांक 97 पृष्ठ क्रमांक

1. तारीख रिपोर्ट 21/9/2020
2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान अमृतलाल s/o कल्याणी जाति डामोर नि. भरतपुरा पो. कुशलगढ़ जि. बांसवाड़ा
3. अपराध का विवरण व. ख. कटवाली पीपलिया पाटन नाला रोड समीप खाई के उद्देश्य से वन भूमि को फाड़ना
4. घटना का स्थान पोकलेन मशीन द्वारा ट्रोला RJ12JA0653 पाटन
5. दिनांक अपराध करने का 21/9/2020
6. विवरण पैदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई राज. वन अधिनियम 1953 की धारा 32, 33 के तहत कार्यवाही
7. किसको सुपुर्दगी मे रखा गया? राजसहयोग मे पोकलेन मशीन व ट्रोला RJ12JA0653
8. नाम साक्षी 1. मुकेश सिंह s/o रामसिंह जि॰ पाटन
   2.

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा
भरत गणपत नाला
वनपाल रक्षा

नोट: रिपोर्ट कुनिन्दा को सूचना मिलने के 24 घन्टे के अन्दर यह सूचना रवाना करनी चाहिये।

P.C. Attested

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज कुशलगढ़

मौका पंचनामा

[राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72–सी /वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत]

बसिलसिले तफ्तीश एफ0आई0आर0 नं0/दिनांक 97-21

स्थान बाजना पाटन रोड व.ख. कदवाली पोटलिया दिनांक 22-9-2020

समय 8:15 AM द्वारा वन अधिकारी श्रीमती मंजु गनावा वनपाल

रूबरू मौतबीरान–

नाम	पिता	जाति	निवास
1. श्री मानसिंग S/o राणजी निनामा		45 वर्ष	पाटन ले. कुशलगढ़
2.			
3.			

एवं हमराह स्टाफ–

नाम	पिता	पद	
1. श्री बाबुलाल डामोर S/o आकु		वनपाल	कुशलगढ़
2. श्री नजीम खान पठान S/o नन्नेखान		स.वनपाल	कुशलगढ़
3. श्री हरेन्द्र गरासिया S/o खातरा		वनरक्षक	छोटी सरवा

हालात–ए–मौका :– वनखण्ड कदवाली पोटलिया मे से गुजर रही सडक के कच्ची-पट्टी (ROW) पर पोकलेन मशीन द्वारा अवैध रूप से खोदने की सुचना पर हम उपरोक्त पंचान वनपाल नाका छोटी सरवा के बुलाने पर जाए मौका वनखण्ड कदवाली पोटलिया पर उपस्थित हुए, मौके पर देखा कि बाजना पाटन रोड के कच्ची पट्टी, जो कि रक्षित वनखण्ड कदवाली पोटलिया के अधीन आता है, उसपर नाली खोदकर OFC डाली जा रही है। मौके पर वन-भूमि जिसमे नाली खोदी गई है। उसका प्रारम्भिक G.P.S 23° 15' 16.90" 74° 38' 59.29" अंतिम G.P.S 23° 14' 36.58" 74° 39' 25.89" वन-विभाग मे सक्षम स्वीकृति बिना लगभग 1200 M लम्बाई 4' गहरी 2' चौडाई नाली (खाई) खोदकर OFC डाली गई है जो राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 32, 33 का उल्लंघन है। इसलिए वन-विभाग टीम द्वारा अवैध खुदाई मे प्रयुक्त पोकलेन मशीन मय परिवहन ट्रेला RJ12GA 0653 जब्त सरकार की गई

P.C. Attested

[signature] (वनपाल)

[signature] क्षेत्रीय वन अधिकारी कुशलगढ़

मौका पर्चा मुर्तिब किया जाकर हाजरीन को पढ़कर सुनाया गया, जिसे ... सही होना तसलीम ... अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर कराये गये/निशानी ली गई।

ह0 मौतबीरान

1. मानसिंग

[signatures] बाबुलाल डामोर वनपाल कुशलगढ़; ह0 हाजरीन; [signature] (हरेन्द्र) व.र.; शारदा व.र.; शब्बीर वाहन चालक; [signature] व.र.

[signature] (वनपाल) ह0 अधिकारी

(2)

नज़री नक्शा

[राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72–सी /वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत]

बसिलसिले तफ्तीश एफ0आई0आर0 नं0/दिनांक 97-21

स्थान बाजना पारन रोड व.ख.कदवाली पीपलिया   दिनांक 22-9-2020

समय 8:15AM   द्वारा वन अधिकारी श्रीमती मंजु गगावा वनपाल

रूबरू मोतबीरान–

	नाम	पिता	जाति	उम्र	निवासी
1.	श्री मानसिंग	S/o राणजी	निनामा	45 वर्ष	नि. पारन त. कुशलगढ़
2.					
3.					

एवं हमराह स्टाफ–

	नाम	पिता	पद	पदस्थापन
1.	श्री बाबूलाल डामोर	S/o आकू	वनपाल	कुशलगढ़
2.	श्री नजीम खान पठान	S/o नन्नेखान	स.वनपाल	कुशलगढ़
3.	श्री हरेन्द्र गरासिया	S/o खातरा	वनरक्षक	छोटी सरवा

मौके का नज़री नक्शा :–

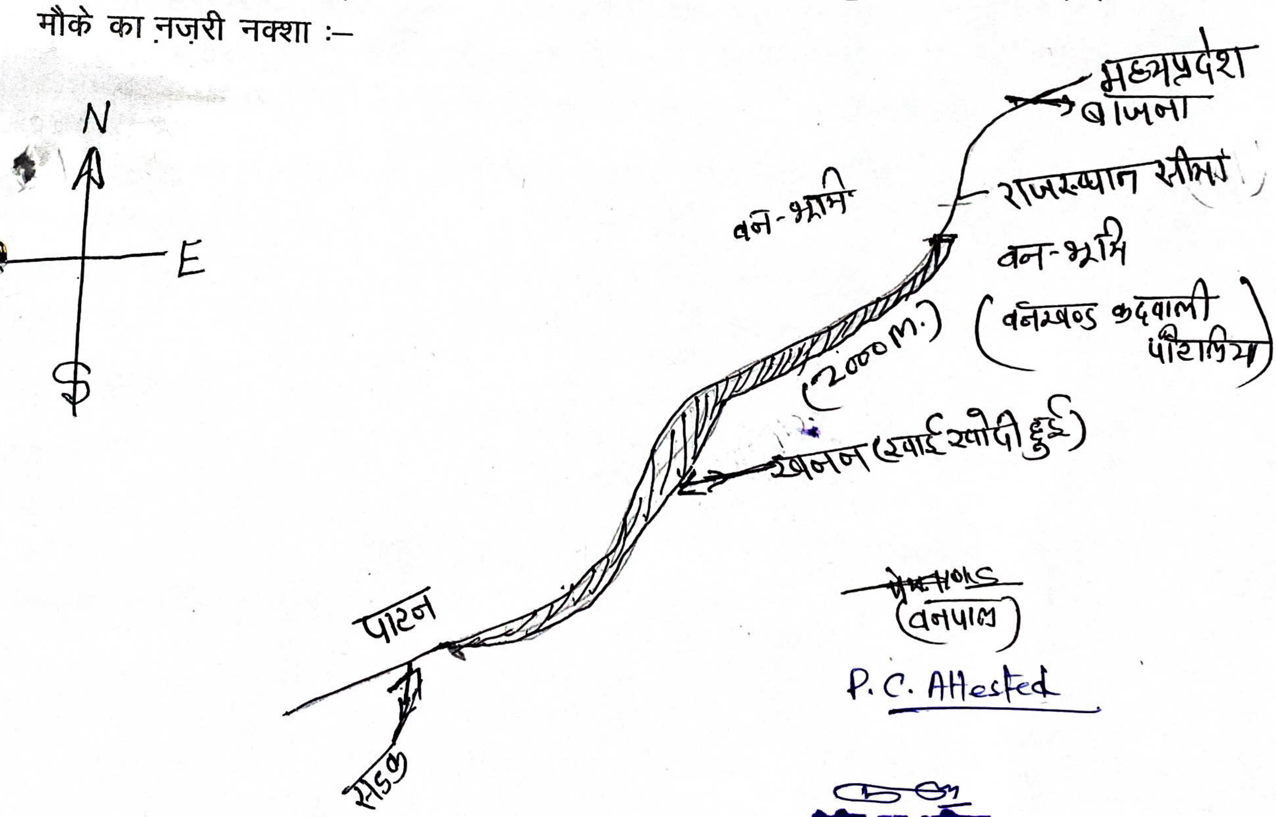

(वनपाल)

P.C. Attested

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज कुशलगढ़

उक्त नज़री नक्शा बनाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया, जिसे सभी ने देखकर सही होना तस्लीम किया। अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर कराये गये/निशानी ली गई।

ह0 मौतबीरान   ह0 हाजरीन   ह0 अधिकारी (वनपाल)

1. मानसिंग

2.

(3)

फर्द गिरफ्तारी

[राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 64 / वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत]

बसिलसिले तफ्तीश एफ0आई0आर0 नं0 / दिनांक 97-21

अपराध की धारा 32, 33 राजस्थान वन अधिनियम 1953 / वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972

स्थान बाजना पाटन रोड ख.न. कदवाली पीपलिया दिनांक 22-9-2020 समय 8:15 AM

द्वारा वन अधिकारी श्री मती मंजु गणावा वनपाल

रूबरू मोतबीरान–

नाम	पिता	जाति	उम्र	निवासी
1. श्री मानसिंग S/o रामजी		निनामा	45 वर्ष	नि. पाटन ते. कुशलगढ़
2.				
3.				

एवं हमराह स्टाफ–

नाम	पिता	पद	पदस्थापन
1. श्री बाबूलाल डामोर	S/o आकु	वनपाल	कुशलगढ़
2. श्री नाजीम खान पठान	S/o नन्हेखान	स.वनपाल	कुशलगढ़
3. श्री हरेन्द्र गरासिया	S/o खातरा	वनरक्षक	छोटी सरवा

उक्त एफ0आई0आर0 में मुल्जिम श्री अमृतलाल पुत्र श्री कालजी

जाति डामोर उम्र 37 वर्ष निवासी भारतगढ़ ते. कुशलगढ़ पुलिस थाना कुशलगढ़ जिला–बांसवाड़ा को जुर्म धारा 32, 33 अथवा धारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 64(1) / वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 50 (1–सी) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का हुलिया / विवरण / पहचान चिन्ह निम्नानुसार है–

1. शारीरिक गठन– हष्ट-पुष्ट
2. ऊँचाई– 5 Fit 8"
3. रंग– सांवला (काला)
4. विशेष पहचान– –
5. पहनावा– पेन्ट-शर्ट

[signature] (वनपाल)

P.C. Attested

[signature]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज कुशलगढ़

उक्त मुल्जिम की गिरफ्तारी फर्द कायम की जाकर हाजरीन को सुनवाई गई, जिसे सबने सही तस्दीक की। अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी ली गई।

अमृतलाल
ह0 मुल्जिम

ह0 मौतबीरान
1. मानसिंग
2.
3.

ह0 हाजरीन
[signatures] वनपाल कुशलगढ़; व.र. (शारदा); (हेमेन्द्र) व.र.; स.व. वनपाल कोटड़ा; व.र.

(राहुल)
ह0 परिचित मुल्जिम

[signature] (वनपाल)
ह0 अधिकारी

फर्द जमा तलाशी

[राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 64/वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत]

मुल्जिम श्री अमृतलाल पुत्र श्री कलजी डामोर

जाति डामोर निवासी भरलगढ़ पुलिस थाना कुशलगढ़

की बसिलसिले एफ0आई0आर0 नं0/दिनांक 97-21 दिनांक 22-9-2020 समय 8:15 AM

द्वारा वन अधिकारी श्रीमती मंजु गनावा वनपाल

रूबरू मोतबीरान–

नाम	पिता	जाति	उम्र	निवासी
1. श्री मानसिंग	S/o रामजी	निनामा	पडर्ष	नि. पारन तह. कुशलगढ़
2. —	—	—		—
3. —	—	—		—

एवं हमराह स्टाफ–

नाम	पिता	पद	पदस्थापन
1. श्री बाबुलाल डामोर	S/o आकु	वनपाल	नाका कुशलगढ़
2. श्री नजीम खान पठान	S/o नन्हे खान	स. वनपाल	कुशलगढ़
3. श्री हरेन्द्र गरासिया	S/o खातरा	वनरक्षक	छोटी सरवा

को धारा 32, 33 अंतर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1953/वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972, जुर्म करने पर धारा 64 (1)/धारा 50 (1–सी) के तहत् गिरफ्तार कर उक्त हाजरीन के समक्ष मुल्जिम की जमा तलाशी ली गई तो शारीरिक पहनावे के कपड़े के अतिरिक्त निम्नांकित सामान मुल्जिम के तहवील से प्राप्त हुआ।

P.C. Attested

Nil

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुशलगढ़

(वनपाल)

जिनकों उक्त हाजरीन के समक्ष सील बन्द कर फर्द कायम की गई तथा हाजरीन को सुनवाई गई, जिसे सबने सही तस्दीक की। अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी ली गई।

अमृतलाल

ह0 मौतबीरान | ह0 हाजरीन | ह0 मुल्जिम

1. मानसिंग
2.
3.

(शारदा) (हरेन्द्र) वनपाल नाका ... कुशलगढ़

(वनपाल)
ह0 अधिकारी

(5)

फर्द अभिग्रहण (Seizure)

[राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52/वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत]

बसिलसिले तफ्तीश एफ0आई0आर0 नं0 97-21 दिनांक 22-9-2020

जुर्म दफा 32, 33 राजस्थान वन अधिनियम 1953/ वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972

बमुकाम बाजनापारन रेडव.रव. कदवाली पीपलिया दिनांक 22/9/2020 समय 8:15 AM

द्वारा वन अधिकारी मय नाम एवं पद श्रीमती मंजु गणावा वनपाल

रूबरू मोतबीरान–

नाम	पिता	जाति	उम्र	निवासी
1. श्री मानसिंग s/o राणाजी निनामा				नि॰ पारन त॰ कुशलगढ़
2.				
3.				

एवं हमराह स्टाफ–

नाम	पिता	पद	पदस्थापन
1. श्री बाबुलाल डामोर s/o आकू		वनपाल	नाका कुशलगढ़
2. श्री नजीम खान पठान s/o नन्ने खान		सवनपाल	कुशलगढ़
3. श्री हरेन्द्र गरासिया s/o रवातरा		वनरक्षक	छोटी सरवा

निम्नांकित सामग्री को राजस्थान वन अधिनियम 1953/वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 52 (1)/धारा 50 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तहत् जप्त/कब्जे सरकार ली गई तथा जप्त/कब्जे में लिये गये सामग्री पर निम्न पहचान चिन्ह/सीजर चिन्ह लगाया गया।

सीजर मार्क (Seizure Mark)

1. अभियुक्त का नाम जिसके पास से सामग्री जप्त की गई श्री अमृतलाल s/o कलजी डामोर नि॰ भरतगढ़ त॰ कुशलगढ़ जि॰ बांसवाड़ा (राज.)
2. जप्त/कब्जे में ली गई सम्पत्ती का विवरण :– (1) ट्रोला – RJ12GA 0653 खुदाई की मशीन – पोकलेन पीले रंग की

P.C. Attested

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज कुशलगढ़

(वनपाल)

उक्त वर्णित सामग्री जप्त/कब्जा सरकार कर फर्द अभिग्रहण बनाई जाकर सीजर मार्क लगाया गया व हाजरीन को सुनाई जिसे सबने सुनकर बाद तसल्ली सही तस्लीम की। अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी ली गई।

ह0 मौतबीरान: मानसिंग
ह0 हाजरीन: (हस्ताक्षर) वनपाल; सहायक वनपाल कुशलगढ़; (शारदा) व.र; (हरेन्द्र) व.र.
ह0 मुल्जिम: अमृतलाल

2.

3.

ह0 अधिकारी (वनपाल)

फर्द बयान मुल्जिम

[राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72–सी/वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत]

बयान मुल्जिम श्री– अमृतलाल पुत्र श्री– कुलजी

बमुकाम– भरतगढ़ ,दिनांक ~~22-9-2020~~ समय– 8:15 AM उम्र– 37 वर्ष

जाति– डामोर निवासी– भरतगढ़ त॰ कुशलगढ़ जि॰ बाँसवाड़ा

पुलिस थाना– कुशलगढ़ जिला–बांसवाड़ा का होकर आपके पूछने पर बयान करता हूं कि आज दिनांक 21/9/2020 को रात्रि 9:00 बजे pm पर जब मै पाटन से बाजना रोड पर पोकलेन मशीन से नाली नाली (खाई) खुदाई का कार्य करके होले पर लोट रहा था इतनी देर मे वन विभाग कुशलगढ़ के कर्मचारी राजकीय वाहन RJ03UA2782 आए तथा रोड के समीप खुदाई करके केबल डालने के बारे मे पुछा गया तो मैने बताया कि मैं तो केवल ठेकेदार श्री प्रितेशजी पडियार नि॰ कुशलगढ़ के कहने पर खुदाई कार्य कर रहा हु। मुझे वन-विभाग की स्वीकृति के बारे मे कोई जानकारी नही है न ही वन-विभाग के नियमो की जानकारी है मैंने 14/9/2020 से मजदुरी के रूप मे दिन मे एवं रात मे भी खुदाई कार्य किया है। मेरे साथ मे हेल्पर के रूप मे श्री राकेश पिता कोमचन्द्र भईडा नि॰ नागदा एवं एक अन्य व्यक्ति ने भी मेरे साथ रह कर खुदाई कार्य मे मदद की है। ठेकेदार श्री प्रितेशजी पडियार हमे काम बताने व सम्भाल करने आते है। वन-विभाग की ओर से छोटी सरवा वनपाल एवं अन्य कर्मचारी ने भी मुझे 18/9/2020 को प्रातः 11 बजे उक्त कार्य को रोकने को कहा गया वन कर्मचारियो द्वारा वनभूमि मे खुदाई रोकने के बारे मे मैने ठेकेदार श्री प्रितेश जी पडियार को बताया लेकिन ठेकेदार जी ने मेरी बातों को अनसुना करते हुए जल्दी जल्दी काम पुरा करने के लिए मुझे निर्देश दिया गया। मैंने उक्त कार्य वन-विभाग की वन-भूमि पर अनजाने मे अवैध रूप से नाली (खाई) खुदाई करने का जुर्म कबुल करता हु। जिसके लिए मुझे विभागीय जो भी सजा व जुर्माना करेगा इसके लिए मै इकबाल करता हूँ।

अमृतलाल

बयान बहोश–व–हवास एवं बिना किसी दबाव व स्वयं के जानकारी के मुताबिक लिए हैं, जिसे सुनकर/पढ़कर और सही पाये जाने पर अपना हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी किये हैं।

P.C. Attested

[signature] (वनपाल)
ह0 अधिकारी

[stamp] क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज कुशलगढ़

अमृतलाल
ह0 मुल्जिम

[signature] (वनपाल)

फर्द बयान साक्षी/गवाह

[राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72–सी/वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत]

बयान साक्षी श्री मानसिंग पुत्र श्री हाराजी निनामा

बमुकाम पाटन त. कुशलगढ़, दिनांक 22/9/2020 समय 8:15 उम्र 45 वर्ष

जाति निनामा निवासी पाटन त. कुशलगढ़ जि. बांसवाड़ा (राज.)

पुलिस थाना पाटन जिला–बांसवाड़ा का होकर आपके पूछने पर बयान करता हूँ कि मैं रोजाना की तरह नियमित रूप से प्लान्टेशन कदवाली पोटलिया पाटन मे वन सुरक्षा एवं चौकीदार का कार्य करता हु दिनांक 18/9/2020 को समय लगभग प्रातः 9 AM पर श्री प्रितेश पडियार ठेकेदार साकिन कुशलगढ़ अपने साथ ट्राले RJ12GA 0653 और खुदाई करने वाली पोकलेन मशीन की लोडिंग कर मध्यप्रदेश व राजस्थान की सीमा के पास से राजस्थान सीमा मे आया पोकलेन मशीन को अनलोडिंग कर बाजना रोड के किनारे राजस्थान सीमा की ओर वन-भूमि मे खुदाई करने लगा तो मैने उसको रोका और वनपाल नाका छोटी सरवा श्रीमती मंजु गणावा को खबर की खबर के उपरान्त वनपाल छोटी सरवा मौके पर आयी। खुदाई करता ऑपरेटर श्री अमृतलाल S/o कलजी से खुदाई के बारे मे पुछताछ कर रोका गया लेकिन ज्योंहि वनपाल महोदया रवानगी हुई त्योंही ऑपरेटर ने खुदाई चालु कर दी 19/9/2020 को पुनः मशीन को रोकने पर ठेकेदार एवं ऑपरेटर ने PWD की स्वीकृति बताते हुए मेरे पास ~~कब~~ फ्रूफ है इस कारण मैने रोकथाम नही की. ऑपरेटर द्वारा लगभग 1200 m लम्बाई व 4' गहरी 2'Fit चौडाई की खुदाई कर केबल डालकर बन्द कर दी गई।

P.C. Attested

(हस्ताक्षर) सहायक वन संरक्षक रेंज कुशलगढ़

मानसिंग

बयान बहोश–व–हवास एवं बिना किसी दबाव व स्वयं के जानकारी के मुताबिक दिये है, जिसे सुनकर/पढ़कर और सही पाये जाने पर अपना हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी किये हैं।

(हस्ताक्षर) (वनपाल)
ह0 अधिकारी

मानसिंग
ह0 साक्षी/गवाह

(हस्ताक्षर) (वनपाल)

फार्म मुचलका व जमानत हाज़री मुल्जिम

(राजस्थान वन अधिनियम की धारा ...)

मै श्री अमृतलाल पुत्र कुलजी
जाति डामोर निवासी भरतगढ़
कि इस तहरीर को में इक़रार करता हूं, कि मुझे अफसर जंगलात ने दिनांक 22/9/2020 ... जंगल (राजस्थान वन अधिनियम 1953) की धारा 32, 33 के तहत मुकदमा नं 09 दर्ज कर मुझे गिरफ्तार किया है। मै मुचलका एवं हाज़िर जमानत श्री प्रितेश पड़ियार वल्द कन्हैयालाल पड़ियार साकिन कुशलगढ़ रु0 150,000/- की पेश कर (इस तहरीर को) इकरार करता हूँ कि अफसर जंगलात या न्यायालय के तलब करने पर फौरन हाज़िर हो जाऊंगा और इसमें चूक हुई तो कसूरवार ...

अतः हाजरी मुचल्का लिख दिया जो सनद रहे और वक़्त ज़रूरत काम आवे ...

हस्ताक्षर साक्षी :-

(1) श्री नजीम खान पठान स. वनपाल कुशलगढ़

(2) श्री धुलजी शाइकवाल स. वनपाल कोल्हारा गंगा

अमृतलाल
हस्ताक्षर मुल्जिम

मुचलका स्वीकृत / अस्वीकृत किया जाता है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज कुशलगढ़

(वनपाल)
हस्ताक्षर वन अधिकारी

जमानतनामा

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा ...)

मैं श्री प्रितेश पड़ियार निवासी कुशलगढ़ का हूं। अफसर जंगलात श्रीमती मंजु गनावा वनपाल ने श्री अमृतलाल डामोर पिता कुलजी ... डामोर निवासी भरतगढ़ को वन अपराध (वन अधिनियम 1953) की धारा 32, 33 के तहत् गिरफ्तार किया है। मैं श्री अमृतलाल डामोर ... अच्छी तरह जानता हूं तथा आज तारीख 29/09/2020 को इनकी जमानत देकर इकरार करता हूं कि इन्हें अफसर जंगलात या न्यायालय के तलब करने पर फ़ौरन हाज़िर करूंगा और हाजिर नहीं करूंगा तो जमानत मुबलिग रु0 150,000/- जप्त सरकार कर, मेरे खिलाफ विधि अनुसार ... कार्यवाही ... मुझे इसमें कोई उज्र नहीं होगा।

P.C. Attested

(वनपाल)

तारीख :- 29/9/2020

गवाह :-

(1) श्री नजीम खान पठान स. वनपाल कुशलगढ़

(2) श्री धुलजी शाइकवाल स. वनपाल कोल्हारा गंगा

(प्रितेश)
हस्ताक्षर जमानती

क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज कुशलगढ़

जमानत स्वीकृत / अस्वीकृत

क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज कुशलगढ़

(वनपाल)
हस्ताक्षर वन अधिकारी

रा.मु.उ. प्रत 3

वन विभाग (फार्म आमदनी) नं. 1 (क)

वन विभाग, राजस्थान

डिवीज़न [illegible]..............

(जांच कुनिन्दा को देने की) 14

बुक नं. 229 पेज नं.

सदर नं. [illegible] 21/3/2020 सं. 206 FIR 22/3/20

नाका नं. ता. मियाद से तक

नाम नाका [illegible] नाम रेन्ज [illegible]

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे [illegible]

पैदावार कहां जावेगी [illegible]

मियाद FIR

नाम खरीददार [illegible]

सकूनत मय पता [illegible]

मार्फत [illegible]

किस्म पैदावार FIR मुताबिक

तादाद ______ शरह ______

तादाद महसूल ______

रकम [illegible] अंकों में 150000/-

साबिक हाल मीजान

ह. व्यापारी ह. इजराय कुनिन्दा

P.C. Attested.

[illegible]
[illegible]

वन विभाग, राजस्थान सरकार

सुपुर्दनामा

(राजस्थान वन अधिनियम [illegible] की धारा [illegible] / वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की धारा [illegible] के अन्तर्गत)

लिख देने वाला मैं श्री प्रिलेश जी पुत्र श्री कन्हैयालाल जी जाति पड़ियार पेशा [illegible] साकिन कुशलगढ़ पुलिस थाना कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा का हूँ जो कि ऑफिस [illegible] वनपाल नाका छोटी सरवा ने तफसील माल नीचे लिखे मुताबिक गिरफ्तार/जब्त किया है वह मेरे सुपुर्द आज तारीख 30 माह 09 सन 2020 को किया है मैं इस सुपुर्दनामे के बमुजीब इस माल को अपने [illegible] में [illegible] इकरार करता हूँ कि इसकी पूरी हिफाजत करूंगा और जब कोई ऑफिसर जनाब या मजिस्ट्रेट तलब करेगा फौरन पेश करूंगा।

तफसील माल सुपुर्दनामा

[illegible] RJ12 UA-0653

[illegible] मारुति [illegible] कलर की [illegible] मय चाबी

के साथ आज दिनांक 30/09/2020 को श्री प्रिलेश जी पड़ियार को जब्त वाहन सही हालात में सुपुर्द किया गया उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जुर्माना वसूल किया गया। 50,000/-

(हस्ताक्षर) (प्रिलेश जी)
9:45 AM
30/9/2020

(हस्ताक्षर)
(वनपाल)

P.C. Attested

दस्तखत / निशानी अंगूठा सुपुर्दकार का

(हस्ताक्षर)
सहायक वन संरक्षक
[illegible] कुशलगढ़

नाम साक्षी जिनके रूबरू सुपुर्द किया गया—

	नाम	वल्द	जाति	उम्र	निवासी	पुलिस थाना
(1)	श्री मजीद खान S/o नन्हे पठान			54 वर्ष	कुशलगढ़	कुशलगढ़
(2)	श्री धुलजी राइबमाल S/o			54 वर्ष	—	कुशलगढ़

(हस्ताक्षर) [illegible] वनपाल
अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख 30/9/2020

(हस्ताक्षर)
(वनपाल)

Scanned by CamScanner

(9)

फार्म दरख्वास्त एवजाना निस्बत जुर्म जंगल

मुझे वन अधिकारी श्री मती मंजु गनावा वनपाल ने दिनांक 22/9/2020

समय 8:15AM की लकड़ी काटते/दरख्त काटते/मवेशी चराते/अवैध खनन करते/अवैध परिवहन करते/अवैध खनन जंगल कक्ष कदवाली पीपलिया नाका छोटी सरवा से गिरफ्तार किया है। मुझे उक्त जुर्म राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 33, 33 के अंतर्गत करना स्वीकार है। मैं स्वयं इस अपराध को शमन (compound) करने हेतु रु0 150,000/- एवजाना व कीमत जप्त माल रु0 — देने को रजामन्द हूँ, सो मंजूर फरमाया जाए। मैं इस केस का विभाग की ओर से फैसला चाहता हूं। कृपया स्वीकृति प्रदान करें।

दिनांक 22/09/2020

नाम गवाह– 1. श्री नजीम खान पठान स. वनपाल कुशलगढ़
2. श्री धुलजी राइकवाल स. वनपाल कोटड़ा रावणा — अमृतलाल

हस्ताक्षर मुल्जिम मुल्जिम — (हस्ताक्षर)

दरख्वास्त एवजाना स्वीकृत/अस्वीकृत

(हस्ताक्षर) (वनपाल)
हस्ताक्षर वन अधिकारी

रिपोट अफसर एवजाना तजवीज़ कुनिन्दा

[राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 68/वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 54 के अंतर्गत]

महोदय/जनाब–ए–आली,

मुल्जिम श्री अमृतलाल वल्द कलजी डामोर
जाति डामोर निवासी भरलगढ़ त. कुशलगढ़ को वन अधिकारी श्री मती मंजु गनावा वनपाल ने दिनांक 22/9/2020 को वन अधिनियम 1953/वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 32, 33 के अंतर्गत जुर्म करते हुए गिरफ्तार किया है। मुल्जिम द्वारा अपराध को स्वीकार कर रु0 150,000/- एवजाना और रु0 — कीमत माल, कुल राशि रु0 एक लाख पचास हजार रूपये ज़मा कराया गया है, जिसकी रसीद मुल्जिम को दी गई है। यह प्रार्थना पत्र/दरख्वास्त उक्त एवजाना एवं माल कीमत रु0 150,000/- स्वीकृत कर अपराध शमन करने की अनुशंसा की जाती है।

P.C. Attested

एफ0आई0आर0 नं0/दिनांक– 97-21 22/9/2020

रसीद नं0/दिनांक– 229-14 22/9/2020

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज कुशलगढ़

(हस्ताक्षर) (वनपाल)
हस्ताक्षर वन अधिकारी

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

बाद दर्ज़ रजिस्टर नं0 25/2020-21 वापिस होवे। एवजाना मुब्लिग रु0 1,50,000/-
एवं माल कीमत रु0 — मंजूर है, सो वसूल कर रकम हिसाब में दर्ज़ की जावे।

दिनांक–

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा